क.

पप्पु देव यादव

वी.

नरेश कुमार और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 2567)

17 सितंबर, 2020

[एल**.** नागेश्वर राव**,** कृष्णा मुरारी और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

ग

मोटर दुर्घटना-20 वर्षीय व्यक्ति जो डेटा एंट्री ऑपरेटर/टाइपिस्ट के रूप में काम कर रहा था-पीड़ित की अक्षमता (दाहिने ऊपरी अंग का विच्छेदन) 89 प्रतिशत के रूप में पता चला-मुआवजे का दावा-पीड़ित की शारीरिक अक्षमता का आकलन करने वाले न्यायाधिकरण का दावा है कि यह 45 प्रतिशत है और उसकी आय रु। 8, 000/- प्रधानमंत्री ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत जोड़ा और 50,000/- रुपये का मुआवजा दिया। 14,25,400-उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि को समाप्त करने की अपील में आय क्षमता के नुकसान के लिए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया। 7,77,600-- हालांकि, मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु। 14,36,600 अन्य शीर्षों के तहत मुआवजे को बढ़ाकर-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःअक्षमता का गलत आकलन 45 प्रतिशत के रूप में किया गया था-पीड़ित के पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय के संबंध में एक अंग के नुकसान की गंभीरता का आकलन किया जाना चाहिए-तैयार आवेदन के लिए अंधा अंकगणितीय सूत्र नहीं हो सकता है-दावेदार एक डेटा एंट्री ऑपरेटर/टाइपिस्ट होने के नाते, एक हाथ के नुकसान के परिणामस्वरूप आय अर्जित करने में गंभीर हानि हुई-हालाँकि, चूंकि उसके पास अभी भी एक और हाथ था और चूंकि वह छोटा है, इसलिए उसकी अक्षमता की सीमा का आकलन 65 प्रतिशत किया जाता है-उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि गंभीर चोटों से जुड़े मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा दिया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता हो सकती है-दावेदार 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है। 12, 000/- पीएम को अदालतों द्वारा खारिज नहीं किया जाना चाहिए था-उनकी प्रति माह आय रु। 10, 000/- आय क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान की दिशा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे को संशोधित कर 10,000 रुपये कर दिया गया है। 19,65,600-रुपये के स्थान पर। 7,77,600-उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त-अन्य शीर्षों के तहत देय राशि के मूल्यांकन को बरकरार रखा जाता है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

968 ए.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस।

969

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गया:**1.1** अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक गंभीर चोट न केवल स्थायी रूप से शारीरिक सीमाओं और अक्षमताओं को लागू करती है, बल्कि अक्सर पीड़ित पर गहरे मानसिक और भावनात्मक निशान भी लगाती है।पीड़ित को एक ऐसी दुनिया में रहने का परिचर आघात, जिसमें वह पैदा हुआ है, एक अमान्य के रूप में, और दूसरों पर निर्भरता की डिग्री के साथ, पूरी व्यक्तिगत पसंद या स्वायत्तता को लूटना, हमेशा न्यायाधीश के दिमाग में होना चाहिए, जब भी मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने का काम सौंपा जाए।इस तरह की चोटों के कारण लगाई गई गंभीर सीमाएं व्यक्ति की गरिमा (जिसे अब अनुच्छेद **21** के तहत जीवन के अधिकार के एक आंतरिक घटक के रूप में मान्यता दी गई है) को कमजोर करती हैं, इस प्रकार व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन के अधिकार के सार से वंचित करती हैं जो वह अब तक जी चुका था।सक्षम शरीर की दुनिया से, पीड़ित को विकलांगों की दुनिया में धकेल दिया जाता है, जो खुद सबसे अधिक परेशान करने वाला और परेशान करने वाला होता है।यदि अदालतें इन परिस्थितियों से बेखबर रहती हैं और मामूली निर्णय देती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप घायल पीड़ित का अपमान होता है।[पैरा **22] [996-**बी-डी]

ग

डी.

1.2 इस अदालत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि "न्यायसंगत मुआवजे" में वे सभी तत्व शामिल होने चाहिए जो दुर्घटना की घटना से पहले पीड़ित को उस स्थिति के करीब रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं जिसमें वह थी।जबकि कोई भी राशि या अन्य भौतिक मुआवजा उस आघात, दर्द और पीड़ा को मिटा नहीं सकता है जिससे एक पीड़ित गंभीर दुर्घटना के बाद गुजरता है, (या किसी प्रियजन के नुकसान को प्रतिस्थापित करता है), मौद्रिक मुआवजा कानून को ज्ञात तरीका है, जिसके द्वारा समाज उन लोगों को कुछ हद तक क्षतिपूर्ति का आश्वासन देता है जो जीवित रहते हैं, और पीड़ित जिन्हें अपने जीवन का सामना करना पड़ता है।[पैरा **8] [977-**सी-डी]

ई.

च

संतोष देवी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

(2012) 6 एससीसी **421:[2012] 3** एस. सी. आर. **1178-**पर निर्भर।

2.1 तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि अपीलकर्ता, एक **20** वर्षीय डेटा एंट्री ऑपरेटर (जिसने **12** वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी) को स्थायी अक्षमता हुई, यानी उसका दाहिना हाथ (जिसे काट दिया गया था) खो गया था।अक्षमता का आकलन **89** प्रतिशत किया गया था।हालाँकि, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने इस धारणा पर अक्षमता का केवल **45** प्रतिशत होने का पुनर्मूल्यांकन किया कि मुआवजे के लिए मूल्यांकन एक अलग आधार पर होना था, क्योंकि चोट लगी थी।

जी.

एच.

970 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

क.

केवल एक हाथ का नुकसान।यह दृष्टिकोण पूरी तरह से यांत्रिक है और वास्तविकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। हालांकि यह सच है कि एक अंग या एक भाग की चोट के आकलन से पूरे शरीर को स्थायी चोट नहीं लग सकती है, अदालत को जो जांच करनी है वह परिणामी नुकसान है जो चोट दावेदार की कमाई या आय उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करती है।इस प्रकार, ड्राइविंग जैसे व्यवसाय पर चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक पैर का नुकसान या कुछ ऐसा जो चलने या निरंतर गतिशीलता का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर आय उत्पन्न होती है या यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।इसी तरह, एक बढ़ई या हेयरड्रेसर, या मशीनिस्ट जैसी नौकरी में शामिल व्यक्ति के लिए, और उस पर एक अनुभवी व्यक्ति के लिए, एक हाथ का नुकसान, (अधिक तो एक कार्यात्मक हाथ) आय सृजन के विलुप्त होने की ओर ले जाता है।यदि पीड़ित की आयु **40** वर्ष से अधिक है, तो पुनर्वास का दायरा भी कम हो जाता है।ये व्यक्तिगत कारक महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कमाई क्षमता के नुकसान के आकलन के उद्देश्य से स्थायी अक्षमता की सीमा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।**[**पैरा **13] [985-**सी**-**एफ**]**

ग

डी.

2.2 न्यायालयों को एक रूढ़िवादी या अदूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय, इस मामले को जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए, दोनों विकलांगों की सीमा के मूल्यांकन और विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे में।वर्तमान मामले में, एक हाथ के नुकसान के परिणामस्वरूप अपीलार्थी पर आय अर्जित करने में गंभीर हानि हुई।एक टाइपिस्ट/डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, उनके हाथों का पूरा काम करना उनकी आजीविका के लिए आवश्यक था।उनकी स्थायी अक्षमता की सीमा का आकलन **89** प्रतिशत पर किया गया था; हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कुछ 'आनुपातिक' सिद्धांत के पूरी तरह से गलत अनुप्रयोग पर इसे आधा करके **45** प्रतिशत कर दिया, जो अतार्किक था और कानून में असमर्थनीय है।देखने वाली बात यह है कि पीड़ित की आय पैदा करने की क्षमता पर चोट का क्या प्रभाव पड़ता है।एक अंग (एक पैर या हाथ) की हानि और उस कारण से इसकी गंभीरता को पीड़ित के पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय के संबंध में आंका जाना चाहिए; तैयार अनुप्रयोग के लिए एक अंधा अंकगणितीय सूत्र नहीं हो सकता है।अपीलार्थी की आय उत्पन्न करने की क्षमता निस्संदेह गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी।शायद, यह **89** प्रतिशत की सीमा तक नहीं है, यह देखते हुए कि वह अभी भी एक हाथ का उपयोग करता है, युवा है और उम्मीद है कि वह किसी अन्य काम के लिए खुद को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित (और पुनर्वास) कर रहा है।फिर भी, अक्षमता का आकलन **45** प्रतिशत नहीं हो सकता है; इस मामले की परिस्थितियों में इसका आकलन **65** प्रतिशत किया जाता है।**[**पैरा **20] [995-**ए**-**डी**]** ए

ई.

च

जी.

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस।

971

नीरुपम मोहन माथुर बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस

कंपनी (2013) 14 एससीसी 15:[2013] 8 एस. सी. आर. 15; जाकिर हुसैन बनाम साबिर (2015) 7 एस. सी. सी. 252:[2015] 2 एससीआर

460; एंथनी उपनाम एंथनी स्वामी बनाम प्रबंध

निदेशक, K.S.R.T.C (2020) SCC ऑनलाइन SC 493; राज कुमार बनाम अजय कुमार (2011) 1 SCC 343: [2010] 13

एस. सी. आर. **177;** नागराजप्पा बनाम मंडल प्रबंधक**,** ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2011) 13** एस. सी. सी. **323:[2011] 6** एससीआर **70;** सैयद सादिक और अन्य बनामडिवीजनल मैनेजर**,** यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2014) 2** एस. सी. सी. **735;** अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस

कं. लिमिटेड (2010) 10 एस. सी. सी. 254:[2010] 11 एससीआर 857;

ग

मोहन सोनी बनाम राम अवतार तोमर **(2012) 2** एससीसी **267:[2012] 2** एससीआर **921;** संदीप खांडुजा बनाम अतुल दांडे

(2017) 3 एस. सी. सी. **351-**पर निर्भर।

3. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह ठहराते हुए गलती की कि भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।भविष्य की आय के नुकसान के अलावा **(**दुर्घटना के समय आय के निर्धारण के आधार पर**),** अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए **40** प्रतिशत की दर से मुआवजे का भी हकदार है।उच्च न्यायालय के लिए इस अदालत के पिछले फैसलों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था**,** ताकि गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अक्षम होने वाले दुर्घटना मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे की संभावना को बाहर रखा जा सके।प्रणय सेठी **(2017) 16** एस. सी. सी. **860** का इतना संकीर्ण अध्ययन अतार्किक है**,** क्योंकि यह दुर्घटना के मामलों में जीवित पीड़ित के जीवन में आगे बढ़ने की संभावना को पूरी तरह से नकारता है**-**और पीड़ित की मृत्यु के मामले में भविष्य की संभावनाओं की ऐसी संभावना को स्वीकार करता है।**[**पैरा **12** और **7]**

डी.

ई.

च

जगदीश बनाम मोहन और अन्य। (2018) 4 एससीसी 571:[2018] 3

एस. सी. आर. **20;** परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी।

लिमिटेड (2019) 7 एससीसी 217:[2019] 8 एससीआर 986; के. सुरेश बनाम.

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2012) 12** एस. सी. सी. **274:[2012] 11** एससीआर **414;** काजल बनाम जगदीश चंद **(2020) 4** एससीसी

जी.

413 – पर भरोसा किया।

*राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनामप्रणय सेठी और अन्य। (2017) 16 एस. सी. सी. 860; सिद्धेश्वर डुकरे के अनंत पुत्र

एच.

क.

v. प्रताप पुत्र झम्न्नाप्पा लमजाने और अन्र। **(2018) 9**

एससीसी **450:[2018] 10** एस. सी. आर. **11-**संदर्भित।

4. निचली अदालतों ने अपीलार्थी द्वारा अर्जित आय के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को अनावश्यक रूप से खारिज कर दिया। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हुए**,** जैसे उन्होंने किया**,** यानी दिल्ली में अदालत परिसर में एक टाइपिस्ट**/**डेटा एंट्री ऑपरेटर के

रूप में, **12,000/-** की कमाई के उनके दावे को काफी हद तक खारिज नहीं किया जा सका, इस हद तक कि इसे घटाकर **8,000/-** प्रति माह कर दिया गया।यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे स्व-नियोजित पेशेवर ए. वाई. **2011-2012** के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं थे, जब '**1,60,000-**प्रति वर्ष से कम कमाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई शुल्क मौजूद नहीं था।यदि कुशल श्रमिकों के लिए समकालीन न्यूनतम मजदूरी (जो **8,500/-** रुपये की सीमा में थी) को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक आय प्रति माह **10,000/-** रुपये होगी।**40** प्रतिशत पर भविष्य की संभावनाओं को जोड़ते हुए, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से आय को **14,000** रुपये के रूप में लिया जाना चाहिए।तदनुसार, इस अदालत ने पाया कि एक हाथ के नुकसान की अक्षमता के लिए देय मुआवजा (**65** प्रतिशत अनुमानित) '**19,65,600-** (यानी,' **14,000/- × 12 × 65** प्रतिशत **×18**) या केवल उन्नीस लाख पैंसठ हजार छह सौ रुपये।[पैरा **21**] [**996-**ए]

ग

डी.

5. अन्य शीर्षों के तहत देय राशियों का उच्च न्यायालय का आकलन (जैसे चिकित्सा खर्चों के लिए मुआवजा, दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा, विशेष आहार और परिचारक के लिए मुआवजा, परिवहन शुल्क, सुविधाओं का नुकसान और जीवन का आनंद, विकृति और उपचार के दौरान आय का नुकसान), हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है; अर्जित करने की क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान की दिशा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए '**19,65,600-**के योग को' **7,77,600-**की राशि के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।[पैरा **23**] [**996-**डी-एफ]

ई.

च

निर्णीत विधि संदर्भ

(2017) 16 एस. सी. सी. **860**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

जी.

[2018] 10 एससीआर **11**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[2012] 3 एससीआर **1178**

पर भरोसा किया

पैरा **8**

[2018] 3 एससीआर **20**

पर भरोसा किया

पैरा **9** ए

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस।

973

[2019] 8 एससीआर **986**

पर भरोसा किया

पैरा **10**

[2012] 11 एससीआर **414**

पर भरोसा किया

पैरा **10**

(2020) 4 एस**.** सी**.** सी**. 413**

पर भरोसा किया

पैरा **11**

[2013] 8 एससीआर **15**

पर भरोसा किया

पैरा **14**

[2015] 2 एससीआर **460**

पर भरोसा किया

पैरा **15**

पैरा **16**

[2010] 13 एस**.** सी**.** आर**. 17**

पर भरोसा किया

[2011] 6 एससीआर **70**

पर भरोसा किया

पैरा **16**

(2014) 2 एससीसी **735**

पर भरोसा किया

पैरा **17**

ग

[2010] 11 एससीआर **857**

पर भरोसा किया

पैरा **18**

[2012] 2 एससीआर **921**

पर भरोसा किया

पैरा **18**

2017 (3) एस**.** सी**.** सी**. 351**

पर भरोसा किया

पैरा **19**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2567।

डी.

एम. ए. सी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 13.09.2018 के निर्णय और आदेश से। ऐप. 117/2018।

श्रीमती मोना के. राजवंशी, सुश्री जी. इंदिरा, जतिंदर कामरा, ए. के. डे, प्रमित सक्सेना, ज़ाहिद अली और सुश्री अनन्या डे, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.**

1. अपीलार्थी दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाता है। 18.05.2012 पर, अपीलार्थी आवश्यक किराया चुका कर बस में एक यात्री के रूप में हापुड़ की यात्रा करते समय एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गया था।लगभग 1:30 बजे जब बस उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गाँव सादिकपुर, हफीजपुर, पुलिस स्टेशन पहुंची, तो उल्लंघन करने वाली बस के चालक (पहले प्रतिवादी) ने उस बस को गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसमें अपीलार्थी यात्रा कर रहा था, और अपीलार्थी की बस को खुरचते हुए ज़िप कर दिया।इस जल्दबाजी और लापरवाही के कारण अपीलार्थी जिस बस में बैठा था, उसमें दरार पड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं।अपीलार्थी को डॉ. खान के रेहान अस्पताल और उसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।अपीलार्थी ने मुआवजे का दावा करते हुए मालिक को आरोपित किया,

च

जी.

1 दिनांक 13.09.2018, एम. ए. सी. ऐप में। 520/2016 ए

एच.

974

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

वाहन का चालक, और बीमाकर्ता।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, उन्होंने अपनी अक्षमता का पता लगाने के लिए आवेदन किया।अक्षमता रिपोर्ट (उदा. पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल द्वारा मोटर वाहन मुआवजे के दावे की कार्यवाही के दौरान जारी किए गए पीडब्लू-एल/9 दिनांक (आईडी1) से पता चला कि उन्हें अपने दाहिने ऊपरी अंग के

संबंध में 89 प्रतिशत अक्षमता का सामना करना पड़ा, जिसे काटना पड़ा।रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थिति "गैर प्रगतिशील, संभावना नहीं" थी

सुधार करने के लिए।पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश नहीं की जाती है।पहली जानकारी

दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) दर्ज की गई थी (एफ़. आई. आर. सं. 57/12), मामले के रूप में अपराध सं. 255/12, हाज़ीफ़पुर पुलिस स्टेशन, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279 और 338 के तहत।

ग

2. अपीलार्थी, उस समय अविवाहित, तीस हजारी अदालतों में डेटा एंट्री ऑपरेटर/टाइपिस्ट के रूप में काम कर रहा था।चोट लगने से पहले, उन्होंने प्रति माह 12,000 की राशि अर्जित की थी।उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद "अधिनियम") की धारा 166 और 140 के तहत मुआवजे के अनुदान के लिए आवेदन किया था, जिसमें पहले प्रतिवादी (दुर्घटना के समय बस के चालक), दूसरे प्रतिवादी (वाहन के मालिक) और तीसरे प्रतिवादी (बीमाकर्ता) के खिलाफ 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 50 लाख की राशि का दावा किया गया था।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद "न्यायाधिकरण") ने अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में बीमाकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया और आगे कहा कि अपीलार्थी को प्रतिवादी की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर चोटें आई थीं।इसने निम्नलिखित शर्तों में क्षतिपूर्ति प्रदान कीः

डी.

ई.

1	चिकित्सा खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति राशि	11,000
2	दर्द और दर्द के लिए क्षतिपूर्ति आयन	30,000
3	विशेष आहार, परिचर और परिवहन शुल्क के लिए क्षतिपूर्ति राशि	30,000
4	भविष्य में अर्जित करने की क्षमता का नुकसान y/आय	11,66,400
5	सुख-सुविधाओं का नुकसान और जीवन का आनंद	15,000
6	विरूपण के लिए क्षतिपूर्ति आयन	25,000
7	उपचार के दौरान आय का नुकसान	48,000
8	भविष्य के औसत खर्च	1,00,000
9	कुल	14,25,400

च

जी.

3. आय क्षमता के नुकसान का आकलन करते समय, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की आय को 8000 प्रति माह माना, और भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत जोड़ा।दुर्घटना के समय, अपीलार्थी की आयु केवल 20 वर्ष थी।इसलिए, 18 का गुणक लागू किया गया था।न्यायाधिकरण द्वारा शारीरिक अक्षमता का आकलन 45 प्रतिशत किया गया था।उच्च न्यायालय, जिसमें दावेदार ने अपील की (और बीमाकर्ता ने क्रॉस अपील की), ने ए के इस शीर्ष को संशोधित किया।

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

975

भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत की वृद्धि को समाप्त करके मुआवजा, और कमाई क्षमता के नुकसान के लिए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन 7,77,600 (8000 x 12 x 45 x 18) के रूप में किया जाता है।विरूपण, आहार, परिचारक और परिवहन, सुविधाओं की हानि और जीवन का आनंद, और दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजे को बढ़ाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा कुल मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन 14,36,600 किया गया था।इसके अलावा, 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया गया था। भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए दी गई राशि को कम करने में, उच्च न्यायालय ने इस अदालत के फैसलों पर ध्यान दिया

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनामप्रणय सेठी और अन्य। 2 और

जगदीश बनाम मोहन और अन्य 3 दोनों इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा।4. अपीलार्थी का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय भौतिक त्रुटि में है, प्रणय सेठी और अन्य 4 में इस अदालत के फैसलों को गलत तरीके से पढ़ने में, जिसके बाद जगदीश 5 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि भविष्य की संभावनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए जिनके पास स्थायी नौकरी है और यह स्व-नियोजित व्यक्तियों तक विस्तारित होगा, और स्व-नियोजित व्यक्तियों के मामले में स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए जहां दुर्घटना के समय पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम थी।यह आग्रह किया गया था कि अनंत एस/में निर्णय

ग

डी.

ओ. सिद्धेश्वर डुकरे बनाम प्रताप पुत्र झम्नप्पा-लामजने और अन्र। 6.

उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया, भविष्य की संभावनाओं का आकलन नहीं किया।हालांकि, यह स्वयं मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अक्षम होने वाले व्यक्तियों के दावों को मुआवजे के ऐसे शीर्षों की मांग करने से नहीं रोकता है।यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से पढ़ा और मामलों की एक अलग श्रेणी बनाई जहां "भविष्य की संभावनाओं" के लिए आय में वृद्धि केवल मृत्यु के मामले में दी जा सकती है, न कि चोट के लिए, जो इस अदालत का इरादा नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय को पुनः मूल्यांकन करना चाहिए था और 8000/- की गलत तरीके से कम की गई आय पर अपीलार्थी की 'भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान' को 11,66,400-(न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित) से 7,77,600 तक कम नहीं करना चाहिए था।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मासिक आय का आकलन Rs.12,000/- होना चाहिए न कि 8,000/- रुपये।यह प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालतों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि 2012 में, प्रति माह Rs.12,000/- कमाने वाले व्यक्तियों को आय दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी

ई.

च

जी.

2 (2017) 16 एससीसी 860। 3 (2018) 4 एस. सी. सी. 571

4 सुप्रा एन.2 5 सुप्रा एन.3

एच.

6 2018 (9) एससीसी 450 ए

कर विवरणी या कर का भुगतान करें।उच्च न्यायालय ने घायल की शारीरिक स्थायी अक्षमता के आकलन में 45 प्रतिशत के रूप में गलती की, भले ही यह 100% था।5. अपील का विरोध करने वाले बीमाकर्ता के वकील ने इस अदालत से विवादित फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि मुआवजे का आकलन उच्च न्यायालय द्वारा इस अदालत के फैसलों के अनुरूप किया गया था।इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एक हाथ के नुकसान की स्थायी अक्षमता से 90 प्रतिशत तक की कमाई क्षमता का नुकसान नहीं हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप, कमाई क्षमता के नुकसान के शीर्ष पर मुआवजे का आकलन 45 प्रतिशत पर सही ढंग से तय किया गया था।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जहां तक आय का संबंध है, हालांकि अपीलार्थी एक वकील की स्वतंत्र गवाही पर भरोसा करता है (जिसने कहा कि वह उसे लगभग 300/- प्रति दिन का भुगतान करता था), इस दावे के समर्थन में आयकर के भुगतान का कोई प्रमाण नहीं था कि अपीलार्थी 12,000/- प्रति माह कमाता था।पैन कार्ड के उत्पादन ने वास्तव में उस स्तर पर आय स्थापित नहीं की जिसका दावा किया गया था।इसके अलावा, वकील ने आग्रह किया कि विवादित निर्णय ने कानून की सही सराहना की, और भविष्य में कमाई करने की कथित क्षमता के नुकसान को खारिज कर दिया गया।

ग

डी.

6. मोटर वाहन क्षतिपूर्ति दावों का आकलन करने में इस अदालत द्वारा लगातार पालन किया जाने वाला सिद्धांत यह है कि पीड़ित को सुविधाओं के नुकसान और अन्य भुगतानों के लिए अन्य क्षतिपूर्ति निर्देशों के साथ दुर्घटना से पहले की स्थिति के करीब रखा जाए।इन सामान्य सिद्धांतों को कई निर्णयों में कहा और दोहराया गया है।7

ई.

7. विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैंःएक, चाहे मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई स्थायी अक्षमता के मामलों में, दावेदार भविष्य में आय के नुकसान के लिए मुआवजे के अलावा,

7 गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

च

कं. लिमिटेड, (2011) 10 एस. सी. सी. 683।इस अदालत ने आर. डी. में दिए गए फैसलों का उल्लेख किया।

हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण (भारत) (पी) लिमिटेड, (1995) 1 एस. सी. सी. 551; निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम प्रशांत एस. धनंका (2009) 6 एस. सी. सी. 1; रेशमा कुमारी बनाम मदन

मोहन (2009) 13 एस. सी. सी. 422; राज कुमार बनाम अजय कुमार (2011) 1 एस. सी. सी. 343।गोविंद यादव ने इन सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि अदालतों को,

“दुर्घटना के पीड़ितों को देय मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने में, जो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से विकलांग हैं।यदि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को स्थायी अक्षमता होती है, तो न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए, बल्कि कमाई के नुकसान और सामान्य जीवन जीने और सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के लिए भी पर्याप्त मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसका वह आनंद लेता, लेकिन दुर्घटना के कारण हुई अक्षमता के लिए।"

जी.

इन निर्णयों का पालन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी किया गया था।अजय कुमार मोहंती (2018) 3 एस. सी. सी. 686।

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

977

क.

भविष्य की संभावनाओं के लिए भी राशि; और दो, अक्षमता की सीमा।पहले प्रश्न पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय तकनीकी रूप से यह ठहराने में सही है कि प्रणय सेठी 8 में पीड़ित की मृत्यु के मामले में मुआवजे का मूल्यांकन शामिल था। हालाँकि, यह कहना गलत हो गया कि बाद में, जगदीश 9 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय बाध्यकारी नहीं था, बल्कि अनंत 10 में बाद का निर्णय इस हद तक कि उसने भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा नहीं दिया, बाध्यकारी था।इस अदालत की राय है कि उच्च न्यायालय के लिए इस अदालत के पिछले फैसलों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था, ताकि गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अक्षम होने वाले दुर्घटना मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे की संभावना को बाहर रखा जा सके।प्रणय सेठी 11 का इतना संकीर्ण अध्ययन अतार्किक है, क्योंकि यह दुर्घटना के मामलों में जीवित पीड़ित के जीवन में आगे बढ़ने की संभावना को पूरी तरह से नकारता है-और पीड़ित की मृत्यु के मामले में भविष्य की संभावनाओं की ऐसी संभावना को स्वीकार करता है।

ग

8. इस अदालत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि "न्यायसंगत मुआवजे" में वे सभी तत्व शामिल होने चाहिए जो दुर्घटना की घटना से पहले पीड़ित को उस स्थिति के करीब रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं जिसमें वह थी।जबकि कोई भी राशि या अन्य भौतिक मुआवजा उस आघात, दर्द और पीड़ा को मिटा नहीं सकता है जिससे एक पीड़ित गंभीर दुर्घटना के बाद गुजरता है, (या किसी प्रियजन के नुकसान को प्रतिस्थापित करता है), मौद्रिक मुआवजा कानून को ज्ञात तरीका है, जिसके द्वारा समाज उन लोगों को कुछ हद तक क्षतिपूर्ति का आश्वासन देता है जो जीवित हैं, और पीड़ित जो जीवित हैं।

डी.

ई.

उनके जीवन का सामना करना पड़ता है।संतोष देवी बनाम राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड 12, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

“14. सरला वर्मा के मामले में फैसले के पैराग्राफ 24 में किए गए अवलोकन के लिए हमें किसी भी तर्क को समझना बेहद मुश्किल लगता है कि जहां मृतक स्व-नियोजित था या वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर था, अदालतें आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय लेती हैं और इस नियम से विचलन केवल विशेष परिस्थितियों से जुड़े दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।हमारे विचार में यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी या कुल परिलब्धि/आय जो स्व-नियोजित है या जो बिना वेतन के एक निश्चित वेतन पर कार्यरत है।

च

जी.

8 सुप्रा एन.2 9 सुप्रा एन.3 10 सुप्रा एन.6 11 सुप्रा एन.2

12 (2012) 6 एससीसी 421 ए

एच.

978 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

वार्षिक वेतनवृद्धि आदि का प्रावधान उनके पूरे जीवन में समान रहेगा।

15. जीवन यापन की लागत में वृद्धि सभी को प्रभावित करती है।यह अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं करता है।वास्तव में, कीमतों में वृद्धि का प्रभाव जो सीधे तौर पर जीवन यापन की लागत को प्रभावित करता है, अमीरों पर न्यूनतम और उन लोगों पर अधिकतम होता है जो स्व-नियोजित हैं या जिन्हें निश्चित आय/परिलब्धि मिलती है।वे सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। इसलिए, वे अपने परिवार को बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं।

16. केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों/उपकरणों के तहत कार्यरत लोगों के वेतन में समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि बढ़ती कीमतों के खिलाफ राहत प्रदान की जा सके और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन में भी कई गुना वृद्धि हुई है।लगभग दो दशक पहले तक, कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन पांच अंकों में होगा और उच्च स्तर के कर्मचारियों का कुल वेतन एक लाख रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा।17. हालांकि, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन/आय में समान वृद्धि दर्ज नहीं की गई है और सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्व-नियोजित लोगों और यहां तक कि दैनिक, मासिक या मौसमी आधार पर कार्यरत लोगों की आय में वृद्धि हुई है।हम इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दे सकते हैं कि जीवन यापन की उच्च लागत से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, बाद की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति समय-समय पर अपने श्रम की लागत में वृद्धि करते हैं।इस संदर्भ में, एक दर्जी का उदाहरण देना उपयोगी हो सकता है जो कपड़े सिलाई करके अपनी आजीविका कमाता है।यदि रहन-सहन की लागत बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उनके लिए अपने श्रम की लागत बढ़ना स्वाभाविक है।नाई, लोहार, मोची, राजमिस्त्री आदि जैसे सामान्य कुशल और अकुशल श्रमिकों के मामले भी ऐसे ही होंगे।18. इसलिए, हम यह नहीं सोचते कि सरला ए के पैराग्राफ 24 की अंतिम तीन पंक्तियों में टिप्पणियाँ करते समय

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

979

वर्मा के फैसले में, अदालत ने एक पूर्ण नियम निर्धारित करने का इरादा किया था कि किसी ऐसे व्यक्ति की आय में कोई वृद्धि नहीं होगी जो स्व-नियोजित है या जिसे निश्चित मजदूरी का भुगतान किया जाता है।बल्कि, यह कहना उचित होगा कि एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है या निश्चित मजदूरी पर लगा हुआ है, उसे भी समय के साथ अपनी कुल आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी और यदि वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो मुआवजे की राशि की गणना के लिए वही सूत्र लागू किया जाना चाहिए।"

9. जगदीश 13 में पीड़ित, एक बढ़ई, को स्थायी रूप से अक्षम होना पड़ा, और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान सहित मुआवजे के उनके दावे पर तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया (जिसमें संयोग से, प्रणय सेठी 14 का फैसला करने वाले न्यायाधीश शामिल थे)।इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया किः

ग

“13. प्रणय सेठी में संविधान पीठ के फैसले में [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम.प्रणय सेठी, (2017) 16 एस. सी. सी. 680], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भविष्य की संभावनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए जिनके पास स्थायी नौकरी है और जो स्व-नियोजित व्यक्तियों तक विस्तारित होंगे।स्व-नियोजित व्यक्ति के मामले में, स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, जहां दुर्घटना के समय पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम थी।इसलिए, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 2400 रुपये की वृद्धि का हकदार होगा।14. वर्तमान मामले में गणना करते समय, न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि अपीलार्थी को एक गंभीर अक्षमता का सामना करना पड़ा है जिसमें उसे अपने दोनों हाथों के उपयोग का नुकसान उठाना पड़ा है।शारीरिक गतिविधियों में लगे व्यक्ति के लिए, यह समझने के लिए कल्पना के विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि हाथों का नुकसान अर्जित करने की क्षमता का पूर्ण अभाव है।कुछ भी नहीं-कम से कम इस मामले के तथ्यों में-खोए हुए हाथों को बहाल कर सकता है।लेकिन मुआवजे के उपाय से व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए कानून के एक वास्तविक प्रयास को प्रतिबिंबित करना चाहिए।मुआवजे का हमारा पैमाना इतना खराब नहीं होना चाहिए कि कोई यह सवाल करे कि क्या हमारा कानून मानव जीवन को महत्व देता है।यदि ऐसा होता है, जैसा कि इसे करना चाहिए, तो इसे इसके लिए एक यथार्थवादी प्रतिदान प्रदान करना चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

13 सुप्रा।एन.3 14 सुप्रा एन.2 ए.

एच.

980 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

हानि का दर्द और पीड़ा का आघात।मुआवजे के पुरस्कार कानून की देनदारी नहीं हैं।अधिकारों के विमर्श में, वे कानून के तहत अधिकारों का गठन करते हैं।कानून के बारे में हमारी बातचीत को व्यक्ति के पैतृक अधीनता से मानव गरिमा के लिए आंतरिक रूप से लागू करने योग्य अधिकारों के दावे की ओर बदलना चाहिए।

15. न्यायाधिकरण ने नोट किया है कि अपीलार्थी परिचारक की सहायता के बिना खाने या शौचालय जाने में भी असमर्थ है। इस पृष्ठभूमि में, 90 प्रतिशत पर अक्षमता की गणना करना न्याय से इनकार होगा।अक्षमता वास्तव में कुल है।अपीलार्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने 18 का गुणक लागू किया।इन परिस्थितियों में, भविष्य की संभावनाओं सहित आय के नुकसान के कारण अपीलार्थी को देय मुआवजा रुपये 18,14,400 होगा।इस राशि के अलावा, अपीलार्थी को दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के कारण 2 लाख रुपये की राशि दी जानी चाहिए।चिकित्सा खर्च (98,908 रुपये) के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि; अतिरिक्त पोषण (25,000 रुपये) और परिचर के खर्च (1 लाख रुपये) के लिए रखी जाती

है।न्यायाधिकरण ने भविष्य में उपचार के लिए कोई भी राशि देने से इनकार कर दिया है।अपीलार्थी को भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए 3 लाख रुपये की राशि की अनुमति दी जानी चाहिए।इस प्रकार अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में कुल 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाती है।अपीलार्थी दावा याचिका दायर करने की तारीख से मुआवजे पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा बीमाकर्ता, मालिक और चालक पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से निर्धारित किया गया है जिसकी पुष्टि की गई है।यह राशि आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष जमा की जाएगी और उचित पहचान होने पर अपीलार्थी को भुगतान किया जाएगा।"

ग

डी.

ई.

च

10. परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया में हालिया निर्णय

जी.

एस्योरेंस कं. लिमिटेड 15 में एक दुर्घटना पीड़ित शामिल था जिसकी हेमिप्लेजिया 16 की सर्जरी हुई थी।इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार, वह एक मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता था या कोई कृषि कार्य नहीं कर सकता था, या एक चालक के रूप में काम नहीं कर सकता था (क्योंकि वह

15 (2019) 7 एससीसी 217

16 बाईं ओर शरीर के आधे हिस्से की कमजोरी; इस मामले में, एक दुर्घटना के कारण।

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

981

क.

उनकी अक्षमता का आकलन 75 प्रतिशत और स्थायी प्रकृति का था।अदालत ने कहाः

“ 5.2.अपीलार्थी के नियोक्ता द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर, हम स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी की आय दुर्घटना के समय उसे देय मुआवजे की गणना करने के उद्देश्य से प्रति माह 10,000 रुपये थी।

5.1.हालाँकि, अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपने नियोक्ता द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया है।उक्त हलफनामे के अनुसार, दुर्घटना के समय अपीलार्थी 10,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था।5.3.अपीलार्थी की आय को 10,000 रुपये प्रति माह के रूप में लेते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भविष्य की संभावनाओं के 50 प्रतिशत के साथ, अपीलार्थी की कुल आय 15,000 रुपये प्रति माह होगी।

ग

5.4.दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु 23 वर्ष थी।18 के गुणक को लागू करते हुए, अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय का नुकसान 15,000 रुपये × 12 × 18 = रुपये 32,40,000 होगा।

डी.

********* ********* **********

5.7.के**.** सुरेश बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2012) 12** एससीसी **274** में**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि **17:**

ई.

“10. यह कहना उल्लेखनीय है कि एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मुआवजे की मात्रा निर्धारित करते समय घायल व्यक्ति की पीड़ाओं को ध्यान में रखना होता है जिसमें पूर्ण जीवन जीने में उसकी असमर्थता, सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में उसकी असमर्थता शामिल होती है, लेकिन चोटों और उतनी कमाई करने की उसकी क्षमता के लिए जो वह अर्जित करता था या अर्जित कर सकता था।इसलिए, मुआवजे की गणना करते समय न्यायाधिकरण या अदालत का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ अनुमान शामिल होंगे क्योंकि मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई गणितीय सटीकता या सटीक सूत्र नहीं हो सकता है।के निर्धारण में

च

जी.

17 पृष्ठ 279 पर, पैरा 10 ए

एच.

982 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

मुआवजे के लिए "न्यायसंगत मुआवजे" का बुनियादी मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए।"

******** ********* ******** 5.9.वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी के लिए अपने निर्वाह के लिए चालक के रूप में नियोजित होना, या किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करना, या किसी भी प्रकार के कृषि कार्यों में संलग्न होना संभव नहीं है।ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता के नुकसान के संबंध में उसकी कार्यात्मक अक्षमता का 100% पर सही आकलन किया है।इसलिए, अपीलार्थी को अर्जित करने की क्षमता के नुकसान के लिए रुपये 32,40,000 का पुरस्कार दिया जाता है।"

ग

11. फिर भी बाद में और हाल ही में एक दुर्घटना मामले में, जिसने दुखद रूप से एक युवा लड़की को जीवन भर पैराप्लेजिया की स्थिति में छोड़ दिया, इस अदालत ने काजल बनाम जगदीश चंद, 18 में दोहराया कि कमाई के नुकसान के अलावा, भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे को भी शामिल किया जा सकता है, और कहा किः

डी.

“14. कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनिर्मला देवी [कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।निर्मला देवी (1979) 4 एस. सी. सी. 365:1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 996:1980 ए. सी. जे. 55], इस न्यायालय ने निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पी. 366, पैरा 2)

ई.

“2. ... मात्रा का निर्धारण उदार होना चाहिए, मामूली नहीं क्योंकि कानून एक स्वतंत्र देश में जीवन और अंगों को उदार पैमाने पर महत्व देता है।"

15. आर. डी. हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण (भारत) (पी) लिमिटेड। [आर. डी. हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण (भारत) (पी) लिमिटेड, (1995) 1 एस. सी. सी. 551:1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 250], चोट के मामलों में मुआवजे के विभिन्न शीर्षों से निपटने के लिए इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पी. 556, पैरा 9)

च

“9. मोटे तौर पर दुर्घटना के पीड़ित को देय मुआवजे की राशि तय करते समय, नुकसान का आकलन अलग से आर्थिक नुकसान और विशेष नुकसान के रूप में किया जाना चाहिए।आर्थिक क्षति वे हैं जो पीड़ित ने वास्तव में किए हैं और जो धन के संदर्भ में गणना करने में सक्षम हैं; जबकि गैर-आर्थिक क्षति वे हैं जो अंकगणितीय द्वारा मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं।

जी.

18 (2020) 4 एससीसी 413।

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

983

क.

गणना।दो अवधारणाओं की सराहना करने के लिए आर्थिक नुकसान में दावेदार द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैंः(i) चिकित्सा उपस्थिति; (ii) परीक्षण की तारीख तक लाभ की कमाई का नुकसान; (iii) अन्य भौतिक नुकसान।जहाँ तक गैर-आर्थिक नुकसानों का संबंध है, उनमें शामिल हो सकते हैंः(i) मानसिक और शारीरिक सदमे, दर्द और पीड़ा के लिए नुकसान, जो पहले से ही पीड़ित हैं या भविष्य में पीड़ित होने की संभावना है; (ii) जीवन की सुविधाओं के नुकसान की भरपाई के लिए नुकसान जिसमें विभिन्न मामले शामिल हो सकते हैं अर्थात। चोट के कारण दावेदार चलने, भागने या बैठने में सक्षम नहीं हो सकता है; (iii) जीवन की उम्मीद की हानि के लिए नुकसान अर्थात। चोट के कारण संबंधित व्यक्ति की सामान्य दीर्घायु कम हो जाती है; (iv) जीवन में असुविधा, कठिनाई, असुविधा, निराशा, हताशा और मानसिक तनाव।"

ग

16. राज कुमार बनाम अजय कुमार में [राज कुमार बनाम अजय कुमार, (2011) 1 एससीसी 343:(2011) 1 एससीसी (सी. आई. वी.) 164:(2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1161], इस न्यायालय ने उन शीर्षों को निर्धारित किया जिनके तहत व्यक्तिगत चोटों के लिए मुआवजा दिया जाना हैः(एस. सी. सी. पी. 328, पैरा 6)

डी.

“6. जिन शीर्षों के तहत व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजा दिया जाता है, वे निम्नलिखित हैंः

ई.

आर्थिक क्षति (विशेष क्षति)

(i) उपचार, अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, परिवहन, पोषण भोजन और विविध खर्चों से संबंधित खर्च।

((ii) कमाई (और अन्य लाभ) का नुकसान जो घायल व्यक्ति को होता अगर वह घायल नहीं होता, जिसमें शामिल हैंः(क) उपचार की अवधि के दौरान कमाई का नुकसान;

च

(ख) स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की आय का नुकसान।

जी.

((iii) भविष्य के चिकित्सा व्यय।

गैर-आर्थिक नुकसान (सामान्य नुकसान)

((iv) चोटों के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात के लिए नुकसान।

एच.

(v) सुविधाओं का नुकसान (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान)।

984 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

(vi) जीवन की अपेक्षा का नुकसान (सामान्य दीर्घायु को कम करना)।

नियमित व्यक्तिगत चोट के मामलों में, मुआवजा केवल शीर्ष (i), (ii) (a) और (iv) के तहत दिया जाएगा।यह केवल चोट के गंभीर मामलों में है, जहां दावेदार के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले विशिष्ट चिकित्सा साक्ष्य हैं, कि स्थायी विकलांगता, भविष्य के चिकित्सा खर्चों, सुविधाओं की हानि (और/या विवाह की संभावनाओं की हानि) और जीवन की उम्मीद की हानि के कारण भविष्य की कमाई के नुकसान से संबंधित किसी भी शीर्ष (ii) (b), (iii), (v) और (vi) के तहत मुआवजा दिया जाएगा।"

ग

17. के. सुरेश बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में [के. सुरेश बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2012) 12 एससीसी 274:(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 279:(2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 638], इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पी. 276, पैरा 2)

“2. ... हृदय की पीड़ा या मानसिक क्लेशों के लिए वास्तविक क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है।सर्वोत्कृष्टता निरंतर नुकसान की व्यावहारिक गणना में निहित है जो यथार्थवादी सन्निकटन के दायरे में होनी चाहिए।इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 ("अधिनियम" की संक्षिप्तता के लिए) निर्धारित करती है कि "न्यायसंगत मुआवजा" दिया जाना चाहिए।इस प्रकार, यह एक अदालत के लिए एक चुनौती बन जाती है कि वह "न्यायसंगत मुआवजे" का निर्धारण करे जो न तो एक वरदान है और न ही एक अप्रत्याशित परिणाम है, और साथ ही, एक मामूली राशि नहीं होनी चाहिए।"

डी.

ई.

******* ********

****

च

आमदनी में कमी

20. नीचे की दोनों अदालतों ने कहा है कि चूंकि लड़की 12 साल की छोटी बच्ची थी, इसलिए केवल 15,000 रुपये प्रति वर्ष की अनुमानित आय को ध्यान में रखा जा सकता है।हमें नहीं लगता कि यह भविष्य में आय के नुकसान का आकलन करने का एक उचित तरीका है।यह युवा लड़की पढ़ाई के बाद काम कर सकती थी और 15,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक कमा सकती थी। प्रत्येक मामले का निर्णय अपने साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन अनुमानित आय 15,000 रुपये प्रति वर्ष होना बिल्कुल भी उचित नहीं है।अपीलार्थी ने हमारे सामने यह दिखाने के लिए सामग्री रखी है कि ए

जी.

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

985

एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी 4846 रुपये प्रति माह है।हमारी राय में, यह न्यूनतम राशि होगी जो उसने मेजर बनने पर अर्जित की होगी।भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत जोड़कर, यह प्रति माह 6784.40 यानी

81,412.80 प्रति माह होने का काम करता है। 18 के गुणक को लागू करते हुए, यह 14,65 रुपये, 430.40 पर काम करता है, जो कि 14,66,000 पर गोल होता है।"

12. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णायक फैसलों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह ठहराते हुए गलती की कि भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।भविष्य की आय के नुकसान के अलावा (दुर्घटना के समय आय के निर्धारण के आधार पर), अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजे का भी हकदार है, @40 प्रतिशत (प्रणय सेठी सिद्धांत का पालन करते हुए)।

ग

13. तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि अपीलकर्ता, एक 20 वर्षीय डेटा एंट्री ऑपरेटर (जिसने 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी) को स्थायी अक्षमता हुई, यानी उसका दाहिना हाथ (जिसे काट दिया गया था) खो गया था।अक्षमता का आकलन 89 प्रतिशत किया गया था।हालाँकि, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने इस धारणा पर अक्षमता का केवल 45 प्रतिशत होने का पुनर्मूल्यांकन किया कि मुआवजे के लिए मूल्यांकन अलग आधार पर होना था, क्योंकि चोट से केवल एक हाथ का नुकसान होता था।इस अदालत की राय में यह दृष्टिकोण पूरी तरह से यांत्रिक है और वास्तविकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। हालांकि यह सच है कि एक अंग या एक भाग की चोट के आकलन से पूरे शरीर को स्थायी चोट नहीं लग सकती है, अदालत को जो जांच करनी है वह परिणामी नुकसान है जो चोट दावेदार की कमाई या आय उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस प्रकार, ड्राइविंग जैसे व्यवसाय पर चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक पैर का नुकसान या कुछ ऐसा जो चलने या निरंतर गतिशीलता का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर आय उत्पन्न होती है या यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।इसी तरह, एक बढ़ई या हेयरड्रेसर, या मशीनिस्ट जैसी नौकरी में शामिल व्यक्ति के लिए, और उस पर एक अनुभवी व्यक्ति के लिए, एक हाथ का नुकसान, (अधिक तो एक कार्यात्मक हाथ) आय सृजन के विलुप्त होने की ओर ले जाता है।यदि पीड़ित की आयु 40 वर्ष से अधिक है, तो पुनर्वास का दायरा भी कम हो जाता है।ये व्यक्तिगत कारक महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कमाई क्षमता के नुकसान के आकलन के उद्देश्य से स्थायी अक्षमता की सीमा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

14. निरूपम मोहन माथुर बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस

कंपनी 19, इस अदालत ने एक पीड़ित के मामले पर विचार किया, जिसकी चोट

19 (2013) 14 एससीसी 15 ए

एच.

986

हाथ के विच्छेदन के लिए कमाई क्षमता के नुकसान के रूप में 70 प्रतिशत का आकलन किया गया था; वह 32 वर्ष की आयु में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक थे और प्रति माह लगभग 3000/- कमाते थे।इस अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को मंजूरी देते हुए (जिसने कमाई की क्षमता के नुकसान को तय करने के उद्देश्य से 70 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए श्रमिक मुआवजा अधिनियम के सूत्र को अपनाया था) निम्नानुसार निर्णय दिया:

"12. वर्तमान मामले में, स्थायी विकलांगता का प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा पूरे शरीर के संदर्भ में या किसी विशेष अंग के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया गया है।हालाँकि, यह विवाद में नहीं है कि दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप इतनी स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा कि वह डिजाइनिंग, प्रशीतन और वातानुकूलन का विशेष काम करने की स्थिति में नहीं है।उक्त कारण से, दावेदार की सेवाओं को उसके नियोक्ता द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दावेदार डेस्क नौकरी सहित कोई अन्य काम करने में सक्षम नहीं है।मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी. एस. सी. डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा की योग्यता रखने वाला, वह कोई भी नौकरी कर सकता है जहां किसी भी शारीरिक कार्य की तुलना में दिमाग का उपयोग आवश्यक है।

ग

डी.

13. वर्तमान चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं जिसमें कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार अर्जित करने की क्षमता के नुकसान के प्रतिशत को 70 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा आय के कुल नुकसान की सही गणना 6,04,800 रुपये की गई थी।"

ई.

15. बाद में, एक अन्य निर्णय में, यानी जाकिर हुसैन बनाम साबिर 20 इस अदालत को पीड़ित की चोट के उच्च न्यायालय के विश्लेषण के आधार पर मुआवजे के मूल्यांकन की शुद्धता पर विचार करना पड़ा (एक चालक जिसे अपनी बांह पर स्थायी चोट लगी, जिससे उसकी गति बाधित हुई और साथ ही कलाई, जिसने उसे किसी भी वाहन को चलाने में असमर्थ बना दिया)।उच्च न्यायालय ने 30 प्रतिशत पर स्थायी अक्षमता का आकलन किया था, हालांकि डॉक्टर ने इसे 55 प्रतिशत प्रमाणित किया था। इस अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को उलटते हुए अन्य बातों के साथ कहा किः

च

जी.

"... इस चोट के कारण, डॉक्टर ने कहा है कि अपीलार्थी को अपने कंधे, कलाई और कोहनी को हिलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी और दो साल बाद भी मवाद चोट से बाहर आ रहा था

20 (2015) 7 एससीसी 252 ए

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

987

दुर्घटना और उपचार उनके द्वारा किया गया था।डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में आगे कहा कि अपीलार्थी को तारों और नाखून के साथ अपने दाहिने हाथ की ह्यूमरस हड्डी में फ्रैक्चर होने में देरी हुई और वह 55 प्रतिशत विकलांग हो गया था और उसी के कारण भविष्य में कोई मोटर वाहन नहीं चला सकता था।उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान उनका एक बार फिर ऑपरेशन किया गया और उन्हें 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।अपीलार्थी उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था और उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा और देखा गया कि अपीलार्थी का दाहिना हाथ पूरी तरह से कुचल दिया गया था और विकृत हो गया था।इस मामले में डॉक्टर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान के लिए राशि की गणना के लिए गलती से स्थायी विकलांगता की सीमा को क्रमशः 30 प्रतिशत और 55 प्रतिशत पर ले लिया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर ने अपीलार्थी की स्थायी अक्षमता का आकलन 55 प्रतिशत किया है।तथापि, प्रासंगिक तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है, अर्थात्, कि अपीलार्थी एक चालक है और मोटर वाहन चलाना ही उसके साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों के लिए आजीविका का एकमात्र साधन है।इसके अलावा, यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से कुचला गया था और विकृत हो गया था।

ग

डी.

ई.

********* ********* **********16. राज कुमार बनाम अजय कुमार [(2011) 1 एस. सी. सी. 343 में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से एक ऐसे चालक का चित्रण दिया जिसे हाथ की स्थायी अक्षमता है और कहा कि भविष्य में आय क्षमता का नुकसान वस्तुतः 100% होगा।इसलिए, स्पष्ट रूप से जब स्थायी विकलांगता के कारण कमाई के नुकसान की बात आती है, तो इसे अपीलार्थी को हुए नुकसान के रूप में माना जा सकता है क्योंकि वह फिर कभी चालक के रूप में काम नहीं कर पाएगा।प्रत्यर्थी बीमा कंपनी का यह तर्क कि अपीलार्थी कोई अन्य वैकल्पिक रोजगार ले सकता है, उनके प्रत्यावर्ती दायित्व से बचने का कोई औचित्य नहीं है।इसलिए, आय का नुकसान हमारे द्वारा 54,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है।इस प्रकार, सरला वर्मा बनाम डी. टी. सी. [(2009) 6 एस. सी. सी. 121 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उपयुक्त गुणक लागू करकेः(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 770:(2009) 2

च

जी.

एच.

988 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1002], अपीलार्थी की भविष्य की आय का कुल नुकसान 54,000 रुपये × 16 = रुपये 8,64,000 होगा।"

16. हाल ही में, एंथनी उपनाम एंथनी स्वामी बनाम प्रबंध में

निदेशक, K.S.R.T.C 21 जहाँ पीड़ित पेशे से एक चित्रकार था, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राज कुमार बनाम अजय कुमार 22 और

नागराजप्पा बनाम संभागीय प्रबंधक, ओरिएंटल बीमा कंपनी

सीमित 23.उच्च न्यायालय ने चोट को 25 प्रतिशत स्थायी अक्षमता माना था, हालांकि इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि बस यात्री (जो प्रति माह 9000/- कमा रहा था) को लगी चोट बाएं पैर का 75 प्रतिशत और पूरे शरीर के लिए 37.5% थी। राज कुमार 24 में, ऊपरी अंग की शारीरिक अक्षमता पूरे शरीर के 22- 23% के अनुपात में 68 प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई थी।उच्च न्यायालय ने चोट का आकलन 25 प्रतिशत किया था और मुआवजे की मंजूरी दी थी।हालाँकि, इस अदालत ने इस आधार पर चोट का आकलन किया कि विकलांगता 75 प्रतिशत थी, जो इस प्रकार हैः

ग

“9. पीडब्लू. 3 ने अपीलार्थी के बाएं पैर की शारीरिक कार्यात्मक अक्षमता का आकलन 75 प्रतिशत और कुल शारीरिक अक्षमता का आकलन 37.5% पर किया था।उच्च न्यायालय ने पूरे शरीर के केवल 25 प्रतिशत शारीरिक अक्षमता का आकलन करना उचित माना है।प्रतिशत में इस कमी के लिए कोई चर्चा नहीं है, अपीलार्थी द्वारा पीड़ित स्थायी कार्यात्मक अक्षमता की प्रकृति पर बहुत कम विचार किया गया है।मामले के तथ्यों में शारीरिक कार्यात्मक अक्षमता की सीमा पर इस तरह से विचार किया जाना चाहिए ताकि अपीलार्थी को भविष्य में कमाई के नुकसान के लिए उचित और उचित मुआवजा दिया जा सके। दुर्घटना की तारीख को अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता पूरी तरह से नकार दी गई है और कम नहीं की गई है।उन्हें एक चित्रकार के रूप में काम करने या कोई भी हाथ से काम करने में स्थायी रूप से असमर्थ बना दिया गया है।इसलिए भविष्य में कमाई के नुकसान के लिए मुआवजा उचित और न्यायपूर्ण होना चाहिए ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके, न कि मुआवजे के रूप में जो मुश्किल है।यदि 75 प्रतिशत शारीरिक अक्षमता ने अपीलार्थी को अपने सामान्य व्यवसाय या इसी तरह के किसी भी काम को करने से स्थायी रूप से अक्षम कर दिया है, तो पूरे शरीर की अक्षमता के अनुपात में उसे मुआवजे के अनुदान को

समझना मुश्किल है।इसलिए अपीलार्थी को उसकी 75 प्रतिशत स्थायी भौतिक स्थिति के आधार पर भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार माना जाता है।

डी.

ई.

च

जी.

21 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 493 22 (2011) 1 एससीसी 343

23 (2011) 13 एससीसी 323।

24 सुप्रा एन.22 ए.

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

989

कार्यात्मक अक्षमता को रुपये के वेतन के साथ पुनर्गठित किया गया। 5, 500/- रुपये में 14 के गुणक के साथ। 6,93,000-।"

17. मोटर वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति को देय मुआवजे की राशि के सवाल पर विचार किया गया था

सैयद सादिक और अन्य बनामप्रभागीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड 25, जब इस न्यायालय को एक सब्जी विक्रेता के लिए भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए सही मानक लागू करना पड़ा, जिसका दाहिना पैर मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप काटना पड़ा।उच्च न्यायालय ने दिव्यांगता को 65 प्रतिशत माना था।इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

“7. इसके अलावा, अपीलार्थी का दावा है कि वह एक सब्जी विक्रेता के रूप में काम कर रहा था।यह सच है कि एक सब्जी विक्रेता को इस हद तक गतिशीलता की आवश्यकता नहीं हो सकती है कि वह एक ही स्थान पर सब्जियां बेचता है।हालाँकि, सब्जी बेचने का व्यवसाय किसी विशेष स्थान से सब्जियाँ बेचने तक ही सीमित नहीं है।बल्कि इसमें संपूर्ण बिक्री बाजार या किसानों से सब्जियां खरीदना और फिर उन्हें खुदरा बाजार में बेचना शामिल है।इसमें अक्सर कार्ट में सब्जियां बेचना शामिल होता है जिसके लिए 100% गतिशीलता की आवश्यकता होती है।लेकिन रूढ़िवादी दृष्टिकोण से भी, यदि हम यह मान लें कि अपीलकर्ता/दावेदार द्वारा सब्जी की बिक्री में एक स्थान से सब्जियां बेचना शामिल है, तो दावेदार को बाजार में सब्जियां लाने में अपनी गतिशीलता के साथ सहायता की आवश्यकता होगी जो अन्यथा उसके लिए एक कटे हुए पैर के साथ बेहद कठिन होगा। शारीरिक श्रम के मामलों से निपटने के दौरान हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है जहां अंगों का नुकसान अक्सर आजीविका के नुकसान के बराबर होता है।फिर भी, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता/दावेदार बाजार में लाए जाने के बाद भी अपनी आजीविका के लिए सक्षम है, हम आय के नुकसान को निर्धारित करने के लिए 85 प्रतिशत पर अक्षमता का निर्धारण करते हैं।

ग

डी.

ई.

च

8. अपीलार्थी/दावेदार ने अपनी अपील में आगे दावा किया कि वह सब्जी बेचने का काम करके प्रति दिन 10,000 रुपये कमा रहा था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने [चित्र] 3500/- बजे आय के नुकसान पर विचार किया, यह देखते हुए कि दावेदार ने अपनी आय के नुकसान को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।हमारे लिए खुद को यह समझाना मुश्किल है कि श्रम कैसे होता है

जी.

25 (2014) 2 एससीसी 735 ए

एच.

990 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

अपना खुद का व्यवसाय करने वाले असंगठित क्षेत्र में शामिल व्यक्ति से अपनी मासिक आय को साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जाती है।"18. अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड 26 में,

दुर्घटना के समय अपीलार्थी एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) डिग्री के अंतिम वर्ष का छात्र था।वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने अपनी सभी सेमेस्टर परीक्षाओं को विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण किया था।उन्हें गंभीर चोटें आईं और लगभग दो महीने तक कोमा में रहे; उनकी पढ़ाई बाधित हो गई क्योंकि उन्हें सर्जरी के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया था।कई महीनों तक उनकी हालत गंभीर बनी रही; उनका दाहिना हाथ काट दिया गया था और दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी।इस अदालत ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया और कहा कि वे इस हद तक स्थायी रूप से अक्षम थे कि

ग

70%.मोहन सोनी बनाम राम अवतार तोमर 27 में फिर से चोट का मामला

एक पैर के नुकसान के लिए, अदालत ने माना कि विकलांगता की सीमा के चिकित्सा साक्ष्य को यांत्रिक रूप से कम नहीं किया जाना चाहिएः

“8. पक्षों के वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने पर, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की अनुसूची I के संदर्भ में अपीलार्थी की अक्षमता को 50 प्रतिशत तक कम करने में गलती की थी।भविष्य में कमाई के नुकसान के संदर्भ में, दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी भी शारीरिक अक्षमता को विकलांग व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम की प्रकृति के संदर्भ में आंका जाना चाहिए।यह मूल आधार है और एक बार जब यह समझ में आ जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक ही चोट या हानि दो अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है।एक सीमांत किसान का मामला लीजिए जो अपनी खेती खुद करता है और अपने दो हाथों से अपनी जमीन जोतता है; या साइकिल रिक्शा खींचने वाला, जो देश भर के सैकड़ों छोटे शहरों में परिवहन के मुख्य साधनों में से एक है।जहां तक उनकी कमाई की क्षमता का संबंध है, सीमांत किसान या साइकिल-रिक्शा-खींचने वाले के लिए एक पैर का नुकसान सड़क का अंत होगा।लेकिन कार्यालय में किसी प्रकार के डेस्क के काम में लगे व्यक्ति के मामले में, एक पैर के नुकसान का समान प्रभाव नहीं हो सकता है।किसी के पैर का नुकसान (या उस मामले के लिए किसी भी अंग का नुकसान) किसी के व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक जीवन पर बहुत दर्दनाक प्रभाव डालता है, लेकिन कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक पैर का नुकसान हस्तक्षेप नहीं करेगा।

डी.

ई.

च

जी.

26 (2010) 10 एस. सी. सी. 254

27 (2012) 2 पृष्ठ 272 ए पर एस. सी. सी. 267

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

991

अपने काम/कमाई की क्षमता के साथ उसी स्तर पर जो एक सीमांत किसान या साइकिल-रिक्शा-खींचने वाले के मामले में है।

********* ********* *********

10. के. जनार्दन मामले में यह न्यायालय [(2008) 8 एस. सी. सी. 518:(2008) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 733] ने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया और कहा कि टैंकर चालक को एक टैंकर चालक के रूप में अपना अधिकार अर्जित करने में अक्षमता और अक्षमता का सामना करना पड़ा था क्योंकि उसका दाहिना पैर घुटने से काट दिया गया था और तदनुसार, कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बहाल किया गया था।के. जनार्दन [(2008) 8 एस. सी. सी. 518:(2008) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 733] इस न्यायालय ने प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा [(1976) 1 एस. सी. सी. 289 में न्यायालय के एक पूर्व निर्णय का भी उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया:1976 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 52] जिसमें एक बढ़ई, जिसे कोहनी से अपना बायां हाथ काटना पड़ा था, को अपनी कमाई क्षमता का पूरा नुकसान उठाना पड़ा था।

ग

डी.

******** ********* ********

13. मुआवजे के किसी भी पैमाने को कम करने के लिए एक काल्पनिक अनुमान से कुछ अधिक ठोस की आवश्यकता होनी चाहिए कि विकलांगता के बावजूद, पीड़ित अपना व्यवसाय बदलकर या आजीविका का कोई अन्य साधन अपनाकर आय के नुकसान की भरपाई कर सकता है।उस कारण के लिए मुआवजे की कम राशि की वकालत करने वाले पक्ष को न्यायाधिकरण के समक्ष निवेदन करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि पीड़ित को कुछ कानूनी सुरक्षा प्राप्त है (जैसा कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत आने वाले व्यक्तियों के मामले में) या उन विशाल भीड़ के मामले में जो असंगठित क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाते हैं, इस बात का ठोस सबूत देते हुए कि पीड़ित ने वास्तव में अपना व्यवसाय या अपनी आजीविका के साधनों को बदल दिया था और इस तरह के परिवर्तन के कारण वह एक निश्चित आय प्राप्त कर रहा था।

ई.

च

14. हमारे अनुसार, अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता का नुकसान 100% जितना अधिक हो सकता है, लेकिन किसी भी मामले में यह 90 प्रतिशत से कम नहीं होगा।हम, तदनुसार, पाते हैं और मानते हैं कि अपीलार्थी की भविष्य की आय के नुकसान के लिए मुआवजे की गणना उसी आधार पर की जानी चाहिए।उस आधार पर गणना करने पर मुआवजे की राशि 3,56,400 होगी और 30,000 और 15,000 रुपये की राशि जोड़ने के बाद कुल राशि आएगी।

जी.

एच.

992 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

राशि रुपये 4,01,400 होगी।अतिरिक्त मुआवजे की राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।ब्याज के साथ मुआवजे की अतिरिक्त राशि का भुगतान अपीलार्थी को बिना किसी देरी के और आज से तीन महीने के बाद नहीं किया जाना चाहिए।"

19. एक और निर्णय, संदीप खांडुजा बनाम अतुल दांडे 28 भी।

स्थायी अक्षमता की मात्रा का आकलन करने के सटीक पहलू से निपटा गया था।पीड़ित की आयु लगभग 30 वर्ष थी, जो विभिन्न संस्थानों में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में काम करता था, जिसके लिए उसे पेशेवर शुल्क का भुगतान किया जाता था।उन्हें लगी चोटों के परिणामस्वरूप उनके चलने-फिरने में गंभीर हानि हुई; उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में समस्याएँ, सोते समय पीठ में समस्याएँ आदि थीं। उनके पैर में एक छड़ लगाई गई थी।उन्हें 70 प्रतिशत स्थायी अक्षमता और मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा।इस न्यायालय ने अक्षमता की सीमा की गणना करने के लिए उचित तरीके को देखते हुए मुआवजे को बढ़ायाः

ग

“9. स्थायी अक्षमता का प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा पूरे शरीर के संदर्भ में, या अधिक बार किसी विशेष अंग के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।जब एक विकलांगता प्रमाण पत्र में कहा गया है कि घायल व्यक्ति को बाएं निचले अंग के 45 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है, तो यह पूरे शरीर के संदर्भ में 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के समान नहीं है।एक अंग (या शरीर के हिस्से) की अक्षमता की सीमा को उस अंग के कुल कार्यों के प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, स्पष्ट रूप से पूरे शरीर की अक्षमता की सीमा नहीं मानी जा सकती है।यदि दाहिने हाथ की 60 प्रतिशत स्थायी अक्षमता और बाएं पैर की 80 प्रतिशत स्थायी अक्षमता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता की सीमा 140% (यानी 80 प्रतिशत और 60 प्रतिशत) है।यदि शरीर के विभिन्न हिस्सों में अक्षमताओं के अलग-अलग प्रतिशत हुए हैं, तो पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता के संदर्भ में व्यक्त कुल राशि स्पष्ट रूप से 100% से अधिक नहीं हो सकती है।

डी.

ई.

च

जी.

10. जहाँ दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है, वहाँ भविष्य की कमाई के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजे का आकलन उसकी कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी अक्षमता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा।न्यायाधिकरण को यंत्रवत रूप से लागू नहीं करना चाहिए

एच.

28 2017 (3) एससीसी 351 ए

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

993

स्थायी अक्षमता का प्रतिशत आर्थिक हानि या अर्जित करने की क्षमता की हानि के प्रतिशत के रूप में।अधिकांश मामलों में, स्थायी अक्षमता से उत्पन्न होने वाले आर्थिक नुकसान का प्रतिशत, यानी कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत से अलग होगा।कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से यह मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी अक्षमता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता का नुकसान होगा, और इसके परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य स्थायी अक्षमता के रूप में 45 प्रतिशत दिखाता है, तो यह माना जाएगा कि भविष्य में अर्जित करने की क्षमता का 45 प्रतिशत नुकसान होगा।अधिकांश मामलों में, स्थायी अक्षमता की सीमा (प्रतिशत) तक कमाई क्षमता के नुकसान की सीमा (प्रतिशत) को बराबर करने के परिणामस्वरूप या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

ग

11. न्यायाधिकरण द्वारा घायल की कमाई क्षमता पर स्थायी अक्षमता के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता है; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, भविष्य में कमाई के नुकसान (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके) पर पहुंचने के लिए इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए।तथापि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्ष्य और मूल्यांकन के मूल्यांकन पर, न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत के लगभग बराबर है, जिस मामले में, निश्चित रूप से, न्यायाधिकरण मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा।" इस प्रकार, जिस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह आकलन करना है कि क्या स्थायी विकलांगता का घायलों की कमाई क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।इस अर्थ में, एम. ए. सी. टी. ने उपरोक्त परीक्षण को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को सही दिशा में उठाया।हालाँकि, हम महसूस करते हैं कि उपरोक्त परीक्षण के अनुप्रयोग पर एम. ए. सी. टी. का निष्कर्ष गलत है।एम. ए. सी. टी. द्वारा यह दृष्टिकोण रखते हुए एक बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़ित 70 प्रतिशत स्थायी अक्षमता अपीलार्थी की कमाई क्षमता को प्रभावित नहीं करेगी।... एक व्यक्ति जो व्यस्त है और अपने कर्तव्यों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता है, वह स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति की तुलना में कमाई का मिलान करने में सक्षम नहीं हो सकता है।आंदोलनों

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अपीलार्थी को काफी हद तक प्रतिबंधित किया गया है और वह भी कम उम्र में।हालांकि उच्च न्यायालय ने इसे मान्यता दी, लेकिन वह गुणक के सिद्धांत को लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ा।हमारी राय है कि इस तरह के मामले में और अपीलार्थी को हुई चोटों को ध्यान में रखते हुए, अर्जित करने की क्षमता का एक निश्चित नुकसान होता है और यह गुणक विधि को अपनाने के साथ मुआवजे के अनुदान की मांग करता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यादव कुमार बनाम मंडल प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड [2010 (10) एससीसी 341] में अभिनिर्धारित किया गया हैः

"9. हम व्यक्तिगत चोट के लिए सभी नुकसानों के मूल्यांकन के संबंध में अधिकारियों की विस्तृत स्थिति की समीक्षा करने का इरादा नहीं रखते हैं।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि व्यक्तिगत चोट के लिए सभी नुकसानों के मूल्यांकन का आधार मुआवजा है। पूरा विचार दावेदार को उसी स्थिति में रखना है जहाँ तक वह पैसा कर सकता था।पूर्ण क्षतिपूर्ति शायद ही संभव है लेकिन किसी को यह ध्यान रखना होगा कि पीड़ित ने कोई गलत काम नहीं किया है; उसने गलत काम करने वाले के हाथों पीड़ा झेली है और अदालत को उसे जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उसे पूरा और उचित मुआवजा देने का ध्यान रखना चाहिए।

ग

डी.

10. कुछ मामलों में व्यक्तिगत चोट के लिए, दावा जीवन भर की कमाई के नुकसान के संबंध में हो सकता है क्योंकि, हालांकि वह जीवित रहेगा, वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है।अन्य में, आय के आंशिक नुकसान के लिए दावा किया जा सकता है।प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए और अंत में, किसी को यह पूछना चाहिए कि क्या दी गई राशि उचित और उचित राशि है।व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे का आकलन करने का पारंपरिक आधार-और जो अब मुआवजे के उचित उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त मोड है-एक उपयुक्त गुणक का उचित गुणक ले रहा है।" उस मामले

में, केरल एस. आर. टी. सी. बनाम सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एस. सी. सी. 176 के फैसले का पालन करने के बाद, अदालत ने पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए 18 का गुणक लागू करने का फैसला किया, जो दुर्घटना के समय 25 वर्ष का था।

ई.

च

जी.

तत्काल मामले में, एम. ए. सी. टी. ने अपीलार्थी की आय को 10,000, यानी 1,20,000 प्रति वर्ष निर्धारित किया था। दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु को देखते हुए, 17 का गुणक स्वीकार्य होगा।यह ध्यान में रखते हुए कि स्थायी विकलांगता 70 प्रतिशत है, इस शीर्ष के तहत मुआवजे पर ए में काम किया जाएगा।

एच.

पापू देव यादव बनाम नरेश कुमार और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

995

14,28,000.एम. ए. सी. टी. ने स्थायी विकलांगता के लिए 70,000 का मुआवजा दिया था, जिसे बढ़ाकर 14,28,000 कर दिया गया है।जीवन के प्रति मानसिक और शारीरिक पीड़ा और हताशा और निराशा के लिए, एम. ए. सी. टी. ने 30,000 की राशि प्रदान की है, जिसे हम बढ़ाकर 1,30,000 कर देते हैं।"

20. न्यायालयों को एक रूढ़िवादी या अदूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय, इस मामले को जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए, दोनों विकलांगों की सीमा के मूल्यांकन और विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे में।वर्तमान मामले में, अदालत की राय में, एक हाथ के नुकसान के परिणामस्वरूप अपीलार्थी पर आय अर्जित करने में गंभीर हानि हुई।एक टाइपिस्ट/डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, उनके हाथों का पूरा काम करना उनकी आजीविका के लिए आवश्यक था।उनकी स्थायी अक्षमता की सीमा का आकलन 89 प्रतिशत पर किया गया था; हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कुछ 'आनुपातिक' सिद्धांत के पूरी तरह से गलत अनुप्रयोग पर इसे आधा करके 45 प्रतिशत कर दिया, जो अतार्किक था और कानून में असमर्थनीय है।जैसा कि निर्णय के बाद निर्णय द्वारा जोर दिया जाता है, यह देखा जाना चाहिए कि पीड़ित की आय पैदा करने की क्षमता पर चोट का प्रभाव पड़ता है।एक अंग (एक पैर या हाथ) की हानि और उस कारण से इसकी गंभीरता को पीड़ित के पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय के संबंध में आंका जाना चाहिए; तैयार अनुप्रयोग के लिए एक अंधा अंकगणितीय सूत्र नहीं हो सकता है।पिछले निर्णयों में उल्लिखित सिद्धांतों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की आय उत्पन्न करने की क्षमता निस्संदेह गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी।शायद, यह 89 प्रतिशत की सीमा तक नहीं है, यह देखते हुए कि वह अभी भी एक हाथ का उपयोग करता है, युवा है और उम्मीद है कि वह किसी अन्य काम के लिए खुद को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित (और पुनर्वास) कर रहा है।फिर भी, अक्षमता का आकलन 45 प्रतिशत नहीं हो सकता है; इस मामले की परिस्थितियों में इसका आकलन 65 प्रतिशत किया जाता है।

ग

डी.

ई.

21. इस अदालत की यह भी राय है कि निचली अदालतों ने अपीलार्थी द्वारा अर्जित आय के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को अनावश्यक रूप से छूट दे दी है।अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हुए, जैसे उन्होंने किया, यानी दिल्ली में अदालत परिसर में एक टाइपिस्ट/डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, 12,000/- कमाने के उनके दावे को काफी हद तक खारिज नहीं किया जा सका, जिससे यह घटकर 8,000/- प्रति माह हो गया।यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे स्व-नियोजित पेशेवर, ए. वाई. 2011-2012 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं थे, जब प्रति वर्ष 1,60,000 से कम कमाने वाले किसी भी व्यक्ति

के लिए कोई शुल्क नहीं था।29 अपीलार्थी की आय के बारे में गवाही देने वाले अधिवक्ता को इस हद तक माना जाता था कि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की मासिक आय तय कर दी थी।

च

जी.

29 पहली अनुसूची, वित्त अधिनियम, 2011। 30 प्रणय सेठी में अनुपात लागू करके।

एच.

996

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

क.

8, 000/- की आय।यदि कुशल श्रमिकों के लिए समकालीन न्यूनतम मजदूरी (जो 8,500/- की सीमा में थी) को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक आंकड़ा 10,000/- प्रति माह होगा।40 प्रतिशत 30 पर भविष्य की संभावनाओं को जोड़ते हुए, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से आय को 14,000 के रूप में लिया जाना चाहिए।तदनुसार, इस अदालत ने पाया कि एक हाथ के नुकसान की अक्षमता के लिए देय मुआवजा (65 प्रतिशत अनुमानित) 19,65,600-(यानी, 14,000/- x 12 x 65 प्रतिशत x 18) या केवल उन्नीस लाख पैंसठ हजार छह सौ रुपये होगा।

22. बिदाई में, यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक गंभीर चोट न केवल स्थायी रूप से शारीरिक सीमाओं और अक्षमताओं को लागू करती है, बल्कि अक्सर पीड़ित पर गहरे मानसिक और भावनात्मक निशान भी लगाती है।जब भी पीड़ित को मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने का काम सौंपा जाता है, तो पीड़ित को उस दुनिया से पूरी तरह से अलग दुनिया में रहने का परिचर आघात, जिसमें वह पैदा हुआ है, एक अमान्य के रूप में, और दूसरों पर निर्भरता की डिग्री के साथ, पूरी व्यक्तिगत पसंद या स्वायत्तता को लूटा जाना, हमेशा न्यायाधीश के दिमाग में होना चाहिए।इस तरह की चोटों के कारण लगाई गई गंभीर सीमाएं व्यक्ति की गरिमा (जिसे अब अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक आंतरिक घटक के रूप में मान्यता दी गई है) को कमजोर करती हैं, इस प्रकार व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन के अधिकार के सार से वंचित करती हैं जो वह अब तक जी चुका था।सक्षम शरीर की दुनिया से, पीड़ित को विकलांगों की दुनिया में धकेल दिया जाता है, जो खुद सबसे अधिक परेशान करने वाला और परेशान करने वाला होता है।यदि अदालतें इन परिस्थितियों से बेखबर रहती हैं और मामूली निर्णय देती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप घायल पीड़ित का अपमान होता है।

ग

डी.

ई.

23. अन्य शीर्षों के तहत देय राशियों का उच्च न्यायालय का आकलन (जैसे चिकित्सा खर्चों के लिए मुआवजा, दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा, विशेष आहार और परिचारक के लिए मुआवजा, परिवहन शुल्क, सुविधाओं का नुकसान और जीवन का आनंद, विरूपण और उपचार के दौरान आय का नुकसान), हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है; अर्जित करने की क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान की दिशा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 19,65,600-का योग 7,77,600 की राशि के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

च

जी.

24. अपील की आंशिक रूप से अनुमति है; विवादित निर्णय को उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया गया है।लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

एच.